राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 11651/2024

सत्य नारायण पुत्र बापू लाल गुर्जर, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम पिपलिया खुर्द, पी.एस. कुकड़ेश्वर, जिला. नीमच, प्रदेश मध्य प्रदेश (वर्तमान में जिला जेल, चित्तौड़गढ़ में बंद)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

<u>के साथ</u>

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1591/2023

राम नारायण पुत्र श्री ओंकार लाल दांगी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी नलवा, कुकड़ेश्वर थाना, जिला. नीमच (म.प्र.) (जिला जेल, चित्तौड़गढ़ में बंद).

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2910/2024

प्रभुलाल पुत्र मोतीलाल डांगी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी पिपलिया खुर्द, थाना कुकडेश्वर, जिला नीमच, मप्र (जिला जेल टोंक में बंद)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री शेखर मेवाड़ा
श्री बी रे बिश्नोई
श्री नवनीत पूनिया

अभिमन्यु सिंह राणावत के लिए

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री नरेन्द्र सिंह चांदावत, पी.पी
श्री श्रवण सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

26/09/2024

1. याचिकाकर्ताओं को पुलिस स्टेशन कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज एफआईआर संख्या 207/2023 में गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 8/18 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित है और इन याचिकाओं के माध्यम से, वे जमानत बांड पर अपनी स्वतंत्रता की बहाली की मांग करते हैं।

2. जांच अधिकारी के बयान दर्ज होने के बाद, याचिकाकर्ता सत्य नारायण की ओर से दूसरी जमानत याचिका पेश की गई है, जबकि अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पहली याचिका है।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष के मामले के तथ्य यह हैं कि 29.04.2023 को गश्त और नाकाबंदी के दौरान, अश्विनी कुमार उप-निरीक्षक और पुलिस स्टेशन कोतवाली निम्बाहेड़ा के कार्यवाहक एसएचओ ने एक वाहन संख्या एमपी-44-सीबी-1892 को रोका। पूछताछ करने पर पता चला कि गाड़ी में प्रभुलाल, सत्य नारायण और राम नारायण नाम के तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से 3.150 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, मुकदमे के दौरान रिकवरी अधिकारी और जांच अधिकारी के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।

4. मैंने बचाव पक्ष के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों की सराहना की है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और याचिकाकर्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में सूचित किए बिना तलाशी ली गई, जो अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा का

उल्लंघन है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का पालन न करना तलाशी और जब्ती की ईमानदारी को कमजोर करता है जो इसे अवैध बनाता है। यह भी तर्क दिया गया है कि तलाशी और जब्ती एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई थी, जो एनडीपीएस के तहत अधिकृत नहीं था। उनके अनुसार, केवल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को इन प्रक्रियाओं को पूरा करने का कानूनी अधिकार है। पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी द्वारा की गई तलाशी एक प्रक्रियागत अवैधता है जो तलाशी को भी अवैध बनाती है, क्योंकि द्वितीय अधिकारी अश्विनी कुमार के पास एसएचओ के पद का वैध प्रभार नहीं था। उपरोक्त तर्कों के आधार पर, उन्होंने प्रार्थना की कि याचिकाकर्ताओं ने अभियोजन पक्ष के मामले पर सवाल उठाने के लिए एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, जिससे वे जमानत के हकदार हैं।

6. राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तुतियों पर कड़ी आपत्ति जताई है तथा प्रस्तुत किया है कि आवेदकों से बरामद 3.150 किलोग्राम प्रतिबंधित अफीम वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है तथा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध लागू होते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं।

7. मैंने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर गहनता से विचार किया है।

8. यह देखा गया है कि, परीक्षण के दौरान, जब्ती अधिकारी अश्विनी कुमार (पीडब्लू-1) तथा जांच अधिकारी वीरेंद्र सिंह (पीडब्लू-2) के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।

9. अभिलेखों के अवलोकन और प्रस्तुतियों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि तलाशी और जब्ती कार्यवाही के दौरान, जब्ती अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जो इस प्रकार है:-

> "आप द्वारा कार को नाकाबंदी स्थल पर नहीं रोक कार को भगा ले जाने का प्रयास किया जिस पर मन् ईन्चार्ज थाना मय जाप्ता द्वारा बेरियर लगा कर कार को रोका तो आप व आपके साथी सत्यनारायण, रामनारायण ने कार की फाटके खोल कर भागने का प्रयास किया जिस पर मन् ईन्चार्ज थाना मय जाप्ता द्वारा घेरा देकर आपको व आपके साथी सत्यनारायण, रामनारायण, को बामुश्किल रोका जाकर यथास्थिति में बैठे रहने की हिदायत की गई। आप नाकाबंदी के दौरान अल्दो कार को चेक करने हेतु पुलिस जाप्ता द्वारा रूकवाने पर कार को नहीं रोक कर भगाने का प्रयास किया एवम कार को रोकते ही कार की फाटक खोल कर भागने का प्रयास किया ऐसी स्थिति में आपके पास एव आपके कब्जे शुदा कार नम्बर एमपी 44 सी बी 1892 में अवैधानिक वस्तु होने की संभावना

होने से आपकी व आपके कब्जे शुदा अल्दो कार नम्बर एमपी 44 सी बी 1892 की तलाशी ली जानी है। इस सम्बन्ध में आप अपना लिखित में जवाब पेश करे।"

10. तलाशी के दौरान जारी किए गए उपरोक्त अति महत्वपूर्ण नोटिस की विषय-वस्तु से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस में किसी विकल्प या याचिकाकर्ताओं के अधिकारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसमें केवल आवश्यकता के बारे में उल्लेख है, जिससे यह साबित होता है कि जब्ती अधिकारी अश्विनी कुमार (पीडब्लू-1) ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को तलाशी के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के अधिकार शामिल थे। यह प्रथम दृष्टया तलाशी और जब्ती को संदिग्ध बनाता है।

11. जब हिरासत में आरोपी को दिए गए अधिकार का इतना महत्व है, तो अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रदत्त सुरक्षा के रूप में अधिकार अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इसलिए, तलाशी लेने वाले अधिकारी के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता है कि वह तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में बताए कि यदि वह चाहे तो उसकी तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ली जाएगी। इसलिए, धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य हैं। उक्त प्रावधान के अनुसार, प्रस्ताव दिया जाना चाहिए कि उसकी तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ली जाएगी। प्रस्ताव में प्रस्ताव और छूट दिए जाने के अधिकार दोनों का उल्लेख होना चाहिए।

12. यह विवादित नहीं है कि धारा 50 के उप-पैरा 1 में "यदि ऐसे व्यक्ति ऐसी मांग करते हैं" शब्दों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की गई है कि पुलिस अधिकारी को तलाशी लेने वाले व्यक्ति को प्रस्ताव देना होगा। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के कठोर प्रावधानों के मद्देनजर, अधिकारी का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को कानून के तहत उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। जब कानून के तहत आवश्यकता संबंधित व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करने की है, तो इसका अर्थ यह है कि उसे अपने सभी अधिकारों और कानून के तहत उसके लिए खुले सभी विकल्पों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा जो व्याख्या की जानी है, वह सही प्रतीत नहीं होती है। अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों के बारे में पता

होना चाहिए, ताकि वह उन विकल्पों में से किसी का भी प्रयोग कर सके जो परिस्थितियों में उसे सबसे अच्छा लगे।

13. कोई व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना पसंद कर सकता है, जबकि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेना पसंद कर सकता है या इसके विपरीत। इसलिए, मेरा मानना है कि धारा 50 एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार तलाशी के प्रस्ताव में दोनों विकल्प शामिल होने चाहिए, अर्थात राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेना। तलाशी लेने वाले व्यक्ति को प्रस्ताव देने की आवश्यकता के पीछे मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को कानून के तहत उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, राज्य की ओर से तर्क देने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

14. इसके अलावा, यह दर्ज करना उचित है कि जब्ती अधिकारी (पीडब्लू-1) अश्विनी कुमार से जिरह की गई थी, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि बरामदगी के दिन फूल चंद नियमित एसएचओ के रूप में तैनात थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उन्होंने औपचारिक रूप से संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ के रूप में कार्यभार संभाला है।

15. आरोप-पत्र, विशेषकर गवाहों की सूची के अवलोकन से पता चलता है कि नियमित एसएचओ, जिसने कथित रूप से पुलिस थाने का प्रभार सौंपा था, का उल्लेख गवाहों की सूची में नहीं है। उप निरीक्षक अश्विनी कुमार को सशक्त बनाने वाला कोई लिखित प्राधिकरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

16. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत, तलाशी और जब्ती कार्रवाई के संबंध में कानूनी सिद्धांत दंड की गंभीरता और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व के कारण विशेष रूप से कठोर है। जब कोई दूसरा अधिकारी एसएचओ के रूप में प्राधिकरण पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत तलाशी या जब्ती करने का दावा करता है, तो उसके लिए केवल मौखिक रूप से बयान देना पर्याप्त नहीं है। एनडीपीएस अधिनियम में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सख्त पालन करने की आवश्यकता होती है, जिसमें दस्तावेजी प्रमाण शामिल है कि संबंधित समय पर दूसरा अधिकारी वैध रूप से एसएचओ के रूप में कार्य कर रहा था। सिद्धांत एक सक्षम कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा तलाशी या जब्ती की कानूनी वैधता और अधिकार को छूता है।

17. इस आवश्यकता का औचित्य कानून के इरादे पर आधारित है, जिसका उद्देश्य पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना और तलाशी और जब्ती कार्रवाइयों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से एनडीपीएस मामलों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए।

18. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत, कुछ शक्तियां विशेष रूप से केवल एसएचओ को ही प्रदान की जाती हैं। एनडीपीएस अधिनियम के तहत द्वितीय अधिकारी की कार्रवाई को वैध माना जाने के लिए, यह दस्तावेजी साक्ष्य के साथ दिखाना आवश्यक है कि उसे एसएचओ के पद का प्रभार दिया गया था। ऐसा न होने पर, द्वितीय अधिकारी द्वारा की गई कोई भी तलाशी या जब्ती अनधिकृत और उसकी शक्तियों के दायरे से बाहर मानी जाएगी, जो प्रथम दृष्टया तलाशी और जब्ती को अमान्य करती है। इसलिए, जब्ती अधिकारी अश्विनी कुमार (पीडब्लू-1) को लिखित और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए, जो यह दर्शाता हो कि उसने तलाशी और जब्ती करते समय एसएचओ के अधिकार के साथ काम किया था, जिसमें वह विफल रहा है।

19. इसलिए, इस मामले में उप निरीक्षक अश्विनी कुमार (पीडब्लू-1) द्वारा की गई तलाशी और जब्ती की कार्यवाही प्रथम दृष्टया अनधिकृत और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अश्विनी कुमार (पीडब्लू-1) को निम्बाहेड़ा के पुलिस स्टेशन कोतवाली के एसएचओ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था और इस प्रकार, उन्हें उक्त पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थान पर प्रतिबंधित पदार्थ के संबंध में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क कि तलाशी और जब्ती की कार्यवाही एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसे ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 और 42 के अनिवार्य प्रावधानों के प्रकाश में वजन रखता है। इसलिए, यह न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की शर्तें विधिवत संतुष्ट हैं ताकि इस मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सके। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, यह न्यायालय रॉय वी.डी. बनाम केरल राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा उचित रूप से निर्देशित है, जो एआईआर 2001 एससी 137 में रिपोर्ट की गई है: -

> "16. अब, यह स्पष्ट है कि अधिकार प्राप्त अधिकारी के अलावा कोई भी अधिकारी धारा 41(2) का सहारा नहीं ले सकता या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42(1) के तहत शक्तियों का

प्रयोग नहीं कर सकता या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए की उपधारा (1) के खंड (डी) के तहत शिकायत नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41(2) के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी न होने वाले अधिकारी द्वारा सामग्री का संग्रह, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना या किसी इमारत की तलाशी लेना या परिवहन या जब्ती करना कानून की मंजूरी का अभाव है और स्वाभाविक रूप से अवैध है और इस तरह यह एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराधों के संबंध में कार्यवाही का आधार नहीं बन सकता और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी सामग्री का उपयोग मुकदमे को प्रभावित करता है।"

20. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात; आवेदकों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्क, विशेष रूप से ऊपर वर्णित तथ्य तथा यह तथ्य कि आवेदक 29.04.2023 से हिरासत में हैं। जमानत अस्वीकृति आदेश से पता चलता है कि आवेदक एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत किसी अन्य मामले में शामिल नहीं हैं; मुकदमे में काफी समय लगने की संभावना है तथा इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता, बल्कि मेरा विचार है कि आवेदकों के पास अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं तथा आवेदकों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के लिए इच्छुक हूं।

21. परिणामस्वरूप, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी-याचिकाकर्ता 1. सत्य नारायण पुत्र बापू लाल गुर्जर, 2. राम नारायण पुत्र श्री ओंकार लाल डांगी और 3. प्रभुलाल पुत्र मोतीलाल डांगी, जिन्हें पुलिस स्टेशन कोतवाली निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में पंजीकृत एफआईआर संख्या 207/2023 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, को जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वे विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानत बांड प्रस्तुत करें, जिसमें यह शर्त हो कि वे सुनवाई की सभी तारीखों पर और जब भी बुलाया जाए, उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि अभियुक्तगण अपनी रिहाई के 7 दिनों के भीतर तथा जमानतदार जमानत प्रस्तुत करने के दिन अपने सभी बैंक खातों का विवरण, बैंक और शाखा के नाम के साथ शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत

करेंगे तथा अपने आधार कार्ड की सुपाठ्य प्रति तथा बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में धारा 446 सीआरपीसी के तहत जुर्माना राशि की वसूली सुचारू रूप से की जा सके।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।